शोध मंथन, Impact Factor 6.726 (SJIF), UGC No. 40908 ISSN: (P): 0976-5255 (e): 2454-339X
Vol. X, No.II, pp (769-776) April - June 2019

इंदिरा युग में भारत – सोवियत सम्बन्ध

मन्दाकिनी राय
शोध छात्रा, पाश्चात्य इतिहास विभाग,
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
Email id- mandakinirai87@gmail.com

सारांश

'द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के पक्ष में आते ही अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अटलांटिक चार्टर पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री का हस्ताक्षर प्राप्त कर यूरोप की वास्तविक ताकत उपनिवेशों के खात्मे का मार्ग प्रशस्त कर विश्व राजनीति पर अमेरिकी वर्चस्व का रास्त खोल लिया। दूसरी तरफ, उन यूरोपीय उपनिवेशों में साम्यवादी क्रान्ति के सिद्धान्तो का निर्यात प्रारम्भ कर सोवियत संघ ने भावी विश्व राजनीति में स्वयं अपने वर्चस्व निर्माण का रस्ता निर्मित कर लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होते ही दुनिया दो खेमे में बटने लगी थी। इस गुटबाजी ने 25 अप्रैल 1945 को ही एक ठोस आकार ले लिया था। जब जर्मनी के केन्द्र में एल्बे नदी पर विजेता अमेरिकी व सोवियत सेनाएं एक–दूसरे से मिली थी। इसके साथ ही जर्मनी की युद्धकालीन गुलामी से मुक्त हुआ। यूरोप पाश्चात्य व सोवियत प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में विभाजित हो गया था। इन दोनो क्षेत्रों ने अन्ततः अपने–अपने विजेता राष्ट्रों के प्रभाव वाले राजनैतिक संस्थाओं, आर्थिक तथा विदेश नीतियों को अपना लिया था '।

'द्वितीय विश्व समाप्त होने के कुछ समय पश्चात ही सोवियत संघ रूस के स्थायी न रहने पर , ब्रिटेन और उसके सहयोगियों ने उसकी तीक्ष्ण आलोचना की। सन् 1946 के प्रारम्भ में ही बड़े पैमाने पर महीनो से चल ब्रिटिश विरोधी प्रदर्शनों से भाकपा के सदस्य जुड़ गये। वर्ष 1947 में जैसे–जैसे आंग्ल–रूसी सम्बन्ध बिगड़ते गये। रूस, ब्रिटेन के भारत के विभाजन के प्रस्ताव की खुली आलोचना करने लगा । उसके मतानुसार जून 1947 की माउन्टबेटन योजना भारतीय उपमहाद्वीप का बंटवारा करके ब्रिटेन का 'साम्राज्यवादी नियंत्रण' बनाये रखने का माध्यम थी'।

'जिस समय में भारत कश्मीर के प्रश्न को सुरक्षा परिषद में ले गया, तो कुछ समय के लिए सोवियत संघ इस विषय पर तटस्थ था, फिर भी वह भारत के उपर आग्ल–अमेरिका द्वारा डाले जा रहे दबाव के प्रयासों का विरोध कर था। सोवियत प्रतिनिधि ने यह भी सलाह दिया कि कश्मीर की जनता को यह अवसर दिया जाए कि वह एक संविधान सभा के द्वारा अपना भविष्य स्वयं निर्धारित करें और इसमें किसी भी तरह का बाह्य हस्तक्षेप न किया जाए'।

प्रस्तावना

'इंदिरा गाधी सन् 1959 के नागपुर अधिवेसन में पहली बार कॉग्रेस की अध्यक्ष पद के लिए र्निवाचित हुई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के आक्समिक निधन के बाद जनवरी 1966 में भारत की प्रधानमंत्री बनी। और भारत की राजनीतिक बागडोर सम्भाली। जिस समय उन्होने प्रधानमंत्री का कार्यभार सम्भाला उस समय ताशकंत घोषणा का पालन करने की इच्छा को पुनः दोहराया।

संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में विदेश मंत्री सरदार स्वर्णसिंह ने कहा कि–

"यदि ताशकंत–घोषणा की सभी व्यवस्थाओं के का पूरी तरह पालन किया जाए तो एक ऐसे वातावरण का निर्माण हो सकता है जिसमें दोनो देशों के बीच सभी प्रकार के मतभेद शांतिपूर्ण तय किये जा सकते है।"

'सन 1965 में इंदिरा गाधी ने भारत की आन्तरिक और वाह्य स्थितियों के बारे में चर्चा करते हुए सोवियत की स्थिति के सन्दर्भ में संक्षिप्त नोट लिखा और व्याख्यायित किया। उन्होने इसमें यह कहा कि मैं जनता के विचारों से अवगत हूँ, विशेषकर भारतीय प्रेस, और भारतीय संसद, जो इस समय बहुत ही तनाव में है। मैं आशा करती हूँ कि हमारे नेता और सरकार कोई भी निणर्य ले तो वह गम्भीर और वास्तविक हो। एक परिपक्व और बुद्धिम्मतापूर्ण नेतृत्व की अगुवाई करता है ना कि अपने अनुयाइयों के अनुसार कार्य करता है। भारत की जनता शांति, मजबूत (सेना) सुरक्षा, बेहतर आर्थिक स्थिति, सस्ते मूल्यों पर आवश्यक वस्तुए, सस्ता स्वास्थ, भोजन–सामग्री, घर–शिक्षा इत्यादि चाहती है। वास्तव में सुरक्षा सभी से पहले आता है परन्तु यह अन्य पर गतिविधियों और लोगों की नैतिकता पर भी र्निभर करता है। हमें आगे बढ़कर देखना चाहिए। मलेशिया और सिंगापूर के सहयोग से हम दुनिया के विचारों को जीतने नही जा रहे। दुनिया के देशों में अमेरिका और सोवियत संघ जैसे देशों से हम कुछ कर सकते है और हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम दोनो को साथ लेकर चले। यदि हम दोनो को साथ नही ले सकते तब अंततः दोनो में से एक जो हमारे राष्ट्रीय हित में दूसरे से अधिक सहयोग करेगा साथ रहें '।

'सन 1969 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के मृत्यु के पश्चात कॉग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं के मध्य – सिंडीकेट और इंदिरा गांधी – मतभेद उभर कर सामने आ गये जिसके परिणमस्वरूप ये घटनाएं घटित हुई– जैसा कि बैंको का राष्ट्रीयकरण, नये राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर संघर्ष और कॉग्रेस पार्टी का टूटना इत्यादि। श्रीमती गांधी की कॉग्रेस के वरिष्ठ नेताओं एवं इनके 'गुप्त सलाहकारों' (किचन कैबिनेट) पर निर्भरता कम हो गयी थी। इस सम्बन्ध में पी0 एन0 धर लिखते है कि –

"गुप्तचर सलाहकार को उनके समीक्षकों द्वारा एक छायादार समूह जो कि प्रधानमंत्री के शरण के तहत काम करने वाले के रूप में वर्णित किया। इसके अस्तित्व को इंदिरा गांधी के अपर्याप्तता के रूप में देखा गया ना कि एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में जो कि बतौर प्रधानमंत्री की भूमिका को परिपूर्ण करने में महत्वपूर्ण थी। सत्ता का संघर्ष 1969 में समाप्त हुआ जब पार्टी का विभाजन हो गया जिससे इंदिरा गांधी अपनी भूमिका में आयी"।

'अब वह आत्मविश्वास से परिपूर्ण थी और 1970 में उन्होने दो विदेश यात्रा की। श्रीमती गांधी ने 1970 में मॉरीशस की यात्रा की जहां पर उनका बहुत ही सम्मान किया गया और प्रेम भी। इस यात्रा के दौरान वही के प्रधानमंत्री श्रीमान सीवूसागर उनको वहा ले गये जहा 19वीं शताब्दी में आये बंधुआ मजदूर उतरते थे और उस रजिस्टर को दिखाया जिसमें उनके दादा जी को दिखाया गया था। इंदिरा गांधी ने वहा महात्मा गांधी संस्थान की नीव रखी। उनकी दूसरी विदेश यात्रा न्यूयार्क कह थी, जहीं पर यू0 एन0 की पच्चीसवीं वर्षगाांठ में शामिल हुई। सन 1971 के आम चुनाव में पूर्ण बहुमत प्राप्त करने के बाद इंदिरा गांधी का हौसला, नैतिक बल बहुत बढ़ गया था। पी0 एन0 धर जी लिखते है कि – 'उनकी 1971 की जीत ने उन्हे राजनीतिक पिरामिड में सबसे उपर कर दिया था और उन्हे एक आत्मविश्वासी नेता की छवि एवं शैली स्वयं में देखने साहस प्रदान किया जब बांगलादेश का युद्ध के बाद श्रीमती गांधी अपनी सत्ता की चरम पर थी'।

'यदि भारत एक सैनिक, आर्थिक महाशक्ति होता तो वह कश्मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण फैसला लेता। भारत एक समय में आर्थिक एवं सैन्य बल पर कमजोर होने का कारण एवं चाइना से एक साथ नही लड़ सकता, इसलिए भारत को अन्य शक्तियों से मद्द और मैत्री समबन्ध बनाये रखने होंगे। जैसा की– अतीत में देखा जा सकता कि सोवियत संघ ने कश्मीर प्रश्न पर आशा, विश्वास एवं मजबूती के साथ खड़ा था। अमेरिका भी अपने कारणों से रूचि ले रहा कि पाकिस्तान चाइना से दूरी बनाये रखे। बहुसंख्यक एफ्रो–एशियन देशों और पश्चिमी देशों ने कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के साथ सहानुभूति रख रहे। अधिकतम : इस्लामिक देश यू0 ए0 आर0 को छोड़कर एक या दो कश्मीर के मुंद्दे पर भारत की अपेक्षा पाकिस्तान के साथ है। दूसरी ओर सोवियत संघ यह महसूस करता है कि भारत एक ऐसा मुख्य देश है कि जो चीन के विस्तार में इस समय में विरोध में पुनः खड़ा हो सकता है।'

भारत– सोवियत संधि 1971

शांति, मित्रता और सहयोग संधि

1971 के पूर्व और द्वितीय विश्व के उपरान्त शीत युद्ध का काल चल रहा था । जहां एक ध्रुव की तरफ अमेरिका और दूसरे ध्रुव की तरफ सोवियत संघ रूस था । इन्ही परिस्थितियों में द्वितीय विश्व –युद्ध के पश्चात साम्राज्यवाद कमजोर हुआ और भारत 1947 में नव स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा । भारत के सामने अनन्य चुनौतीयां थी जिसमें से एक थी भारत की वैदेशिक नीति का अनुसरण करना, जिसके आधार पर भारत का विकास और वैदेशिक सम्बन्ध निर्भर करते थे । इस समय जहा दोनो गुट नाटो, सीटो बगदाद पैक्ट, वार्सा पैक्ट आदि संगठनो के आधार पर एक दूसरे से प्रतिद्वन्दता रखते थे । ऐसी स्थिति में भारत ने ऐसी नीति का अनुसरण किया जो समस्त विश्व के प्रति शांति, सहअस्तित्व और सहचर्य का सम्बन्ध स्थापित कर वैश्विक शांति की तरफ अग्रसर हुआ जिससे गुटनिरपेक्षता की नीति का उदय हुआ । इस गुटनिरपेक्षता के नीति के प्रणेता भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे । इस नीति का अनुसरण करते हुए भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी विश्व के समस्त देशों के साथ अपने वैदेशिक सम्बन्ध

स्थापित की । इसी क्रम में 9 अगस्त 1971 को भारत और सोवियत रूस के मध्य एक शांति, मित्रता और सहयोग पूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने के लिए संधि हुई ।

'भारत सरकार की ओर से सरदार स्वर्ण सिंह (जो तत्कालिन विदेश मंत्री थे) ने सन 1971 की भारत– सोवियत संधि का प्रतिनिधित्व किया था, इसमे यू एस.एस. आर की ओर से वहा के विदेश मंत्री गोरमयको ने प्रतिनिधित्व किया। दोनो सरकारों के मध्य संधि पर हस्ताक्षर किया गया, जिसके फलस्वरूप सरदार स्वर्ण सिहं ने आभार व्यक्त करते हुए लोकसभा में' इस बात की आशा व्यक्त की कि एक बार पुनः मित्रता एवं सहयोग के सम्बन्ध मजबूत हुए है। हम इस बात से सहमत है कि ,यह संधि केवल शांति , सुरक्षा, एवं विकास ही नही, बल्कि दानो देशों के अतिरिक्त सम्पूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। इसका उद्देश्य किसी तीसरे देश के विरूद्ध नही है। वास्तव में, हम आशा करते है कि यह संधि भारत और दुनिया इस क्षेत्र मे अन्य देशों को एक समान प्रतिमान स्थापित करेगा। इस प्रकार यह संधि भारत और इस क्षेत्र के देशों स्वतंत्रता और सम्प्रभुता को स्थिरता, शांति और मजबूती प्रदान करेगा। इस शांति समझौता में विशेष तौर पर इस बात पर बल दिया गया है कि सही अर्थो में यह संधि– शांति, हमारी गुटनिरपेक्षता की नीति, संधि में प्रत्येक उल्लेखित विषयों का सम्मान करना। इस संधि में इस बात की आशा की गयी का हमारी गुटनिरपेक्षता की नीति पुनः मजबूत होगी एवं प्रभावी होगी।'

''दोनो देशों के मध्य वर्तमान वास्तविक मित्रता के सम्बन्धों को मजबूत और विस्तष्त करने की इच्छा रखते हुए, इस विश्वास से कि मित्रता और सहयोग के विकास दोनो राज्यों के मौलिक राष्ट्रीय हित तथा एशिया और सारे संसार में सुदीर्घ शांति को पोषण मिलता है । इसमें इस बात पर भी बल दिया गया कि विश्व शांति और सुरक्षा की दष्ढ़ता को सवंर्धित करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने के सतत प्रयास एवं उपनिवेशवाद के अवशेषों को पूर्णरूप से एवं अंतिम रूप समाप्त करने के निश्चय से, विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक प्रणालियों वाले राज्यों के बीच शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व और सहयोग के सि़द्धान्तों में अटूट विश्वास रखते हुए, इस पूर्ण विश्वास के साथ कि संसार की वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएं संघर्ष द्वारा नही बल्कि मात्र सहयोग द्वारा ही सुलझाई जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धान्तों को मानकर चलते रहने के संकल्प की पुनः पुष्टि करते हुए , एक ओर भारत और दूसरी ओर सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ ने वर्तमान संधि करने का निश्चय किया है, जिसके लिए निम्नांकित पूर्णाधिकारी नियुक्त किये गये है :

भारत गणतंत्र की ओर से ,
सरदार स्वर्ण सिंह, विदेश मंत्री,
सोवियत समाजवादी गणतंत्र की ओर से ,
श्री अ0 अ0 ग्रोमिको विदेश मंत्री ,

जिन्होने अपने प्रत्यय पत्र प्रस्तुत किये है और जिनको शुद्ध और सही माना गया है। दोनो देश भारत और सोवियत रूस की, इस संधि की कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद इस प्रकार थी–

- महान संविदाकारी पक्ष निष्ठापूर्वक घोषणा करते है कि दोनो देश और उनकी जनता

के बीच स्थायी शांति और मित्रता बनी रहेगी। प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष की स्वतंत्रता, प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेगा तथा दूसरे के आंतरिक मामले मे हस्तक्षेप नही करेगा। महान संविदाकारी पक्ष सच्ची मित्रता, अच्छी प्रतिवेशिता और व्यापक सहयोग के वर्तमान सम्बन्धों को उपरोक्त सिद्धान्तों तथा समानता एवं पारस्परिक लाभ के आधार पर विकसित और सुदृढ़ करते रहेंगे।

- प्रत्येक संभव प्रकार से दोनो देशों की जनता के लिए स्थायी शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करने में योगदान की इच्छा से प्रेरित होकर महान संविदाकारी पक्ष अपने इस संकल्प की घोषणा करते है कि वे एशिया और समूचे संसार में शांति बनाये रखने, उसे दृढ़ करने, शस्त्र दौड़ को रोकने तथा प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अधीन सामान्य एवं सम्पूर्ण निरस्त्रीकरण के लिए, जिनमें आणविक एवं परम्परागत अस्त्र–शस्त्र दोनो शामिल हैं, सतत प्रयास करते रहेंगे।
- समस्त राष्ट्र और सभी देशों की जनता के समानता के, चाहे उनका कोइ भी धर्म या जाति हो, उच्च आदर्शों के प्रति अपनी निष्ठा से प्रेरित होकर महान संविदाकारी पक्ष उपनिवेशवाद और जातिवाद के सभी रूपों की निंदा करते हैं और उन्हे पूर्णतया लुप्त कर देने के प्रयास से संकल्प में पुनः आस्था प्रकट करते है –

इन उद्देश्यों की प्राप्ति तथा उपनिवेशवाद एवं जातिवाद के विरूद्ध संघर्ष करने वाले सभी देशों की जनता की उचित आकांक्षाओ का समर्थन करने के लिए महान संविदाकारी पक्ष दूसरे राज्यों के साथ सहयोग करेंगे।

- भारत गणतंत्र सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ की शांतिप्रिय नीति का सम्मान करता है जिसका उद्देश्य सभी राष्ट्रों के साथ मित्रता और सहयोग को सुदृढ़ करना है।

सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ भारत की गुटमुक्त नीति का सम्मान करता है और इसमें पुनः आस्था प्रकट करता है कि विश्व–शांति और अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाये रखने तथा संसार में तनाव को कम करने में इस नीति का महत्वपूर्ण स्थान है।

- विश्वशांति एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने में गहरी अभिरूची रखते हुए तथा इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग को बड़ी महत्ता देते हुए महान संविदाकारी पक्ष दोनो राज्यों के हितों को प्रभावित करने वाली मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय समस्यायों के बारे में प्रमुख राजनेताओं के बीच गोष्ठी एवं विचारों के आदान – प्रदान, दोनों सरकारों के विषेश दूतों तथा सरकारी प्रतिनिधिमंडलों की यात्रा एवं राजनयिक माध्यमों के द्वारा बराबर सम्पर्क बनाये रखेंगे।
- दोनो देशों के बीच आर्थिक , वैज्ञानिक एवं तकनीकि सहयोग को पूरी महत्ता देते हुए महान् संविदाकारी पक्ष परस्पर लाभकारी एवं व्यापक सहयोग को इन क्षेत्रों में बराबर सुदष्ढ़ एवं विस्तष्त करते रहेंगे तथा 26 दिस्मबर, 1970 के भारत सोवियत व्यापार समझौते के अन्तर्गत निकटस्थ देशों के साथ उल्लेखित विशेष व्यवस्था एवं वर्तमान

समझौतों के अध्यधीन समानता, पारस्परिक लाभ तथा अतिअनुगषहित राष्ट्र के प्रति व्यवहार के आधार पर, परिवहन और संचार का विस्तार करेंगे।

- दोनो देशों के बीच विद्यमान परम्परागत मित्रता के अनुसार महान संविदाकारी पक्ष निष्ठापूर्वक घोषित करता है कि वह किसी भी ऐसे सैनिक गठबंधन में, जो दूसरे पक्ष के विरूद्ध हो, न सम्मिलित होगा और न भाग लेगा।
- प्रत्येक महान संविदाकारी पक्ष वचनबद्ध है कि वह किसी तीसरे पक्ष को, जो महान सविदाकारी पक्ष के विरूद्ध शस्त्र संघर्ष में लगा हो, किसी प्रकार की सहायता नही देगा। दोनो में से किसी पक्ष पर आक्रमण होने या आक्रमण का खतरा उपस्थित होने पर महान संविदाकारी पक्ष शीघ्र ही परस्पर विचार–विमर्श करेंगे ताकि ऐसे खतरे को समाप्त किया जाए तथा दोनो देशों की शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रभावकारी कदम उठाए जाएँ।
- प्रत्येक महान संविदाकारी पक्ष निष्ठापूर्वक घोषित करता है कि वह किसी भी एक या एक से अधिक राज्यों के साथ कोई भी गुप्त या प्रकट दायित्व अपने उपर नही लेगा जो इस संधि के प्रतिकूल हो। महान संविदाकारी पक्ष का प्रत्येक पक्ष यह भी घोषित करता है कि उसका किसी राज्य या राज्यों के साथ न कोई ऐसा वर्तमान दायित्व है न भविष्य में वह कोई ऐसा दायित्व लेगा जिससे दूसरे पक्ष को किसी प्रकार की सैनिक हानि हो सकती हो।
- यह संधि बीस वर्षों की अवधि के लिए की गयी है और यदि महान संविदाकारी पक्षों में से एक पक्ष संधि के समाप्त होने के बारह महीने पूर्व दूसरे पक्ष को नोटिस देकर संधि को समाप्त करने की इच्छा घोषित न करे तो प्रत्येक पांच वर्ष की अवधि के बाद स्वतः इसकी अवधि बढ़ जायेगी। यह संधि अनुसमर्थन के अधीन होगी और अनुसमर्थन के दस्तावेज के आदान – प्रदान संधि पर हस्ताक्षर हो जाने के दिन से लागू होगी। दस्तावेज का यह आदान – प्रदान संधि पर हस्ताक्षर हो जाने के लिए महीने के भीतर मास्को में होगा।

उपरोक्त पूर्णाधिकारियों ने वर्तमान संधि पर हिन्दी,रूसी और अंग्रेजी में हस्ताक्षर कर दिये हैं, इन्होने उनपर अपनी मुहर लगा दी है और इस संधि के सभी पाठ समान रूप से प्राधिकष्त है।

'भारत और सोवियत के मध्य संधि से अमेरिका, चीन वस्तुतः पाकिस्तान में भी बहुत ही विरोधी स्वर में प्रतिक्रिया हुई। इस संधि ने बंगलादेश के मुक्ति संघर्ष को सरल बनाने का कार्य किया था जिसका विरोध ये देश पूरे जोर–शोर से कर रहे थे, परन्तु यह तत्कालिक रूप से भारत एवं सोवियत के लिए बड़ी उपलब्धि थी। अमेरिका ने तो बांगलादेश के उदय को रोकने का हर संभव प्रयास किया। इस संधि कि कूटनीतिक विश्वसनीयता इस बात से प्रमाणित होता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान की सैनिक तानाशाही के पक्ष में ''*अपनी सहानुभूति दिखाने वाली*'' गतिविधियों तक ही रोक दिया गया। इस प्रकार से अमेरिका बांगलादेश की आन्दोलन को दबाने

में अपनी भूमिका को पूरा नही कर पाया। इस संधि की इस उपमहाद्वीप में सबसे महत्वपूर्ण देन थी राजनीतिक उपादेयता और क्षमताएं। इसने साम्राज्यवाद द्वारा पोषित एक क्षेत्रीय कुलीनतंत्र के विरूद्ध संघर्ष में लगे बांगलावासियों के राष्ट्रीयता के अभ्युदय और अभिव्यक्ति का मार्ग प्रशसत किया '।

'इंदिरा गांधी की सरकार जब पुनः एक बार सन 1980 में सत्ता में आयी तो वैदेशिक मामलों में कुछ हद तक सफलताएं प्राप्त की। एक बार फिर से दोनो देशों के मध्य चतुर्मुखी विकास का कार्य प्रारम्भ हो गया जो पहले कुछ शिथिल पड़ गया था। लेकिन अफगान समस्या ने दोनो देशों मध्य कुछ असहमति उत्पन्न की। अफगानिस्तान में भारत विदेशी सेना के उपस्थिति के पक्ष में नही था। भारत एक व्यापक राजनैतिक समझौते के पक्ष में था जिससे की सोवियत की सेनाएं वापिस हो जाए। इसी के साथ–साथ सीमा पर विदेशियों द्वारा अफगान विद्रोहियों को भड़काने हस्तक्षेप में सहायता प्राप्त हो रही थी उसे खत्म किया जाए '।

जब सितम्बर 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान की सभी तरफ से धिरी हुई सरकार के मदद के लिए सेनाए भेजी तो श्रीमती गांधी ने इसकी आलोचना करने से इन्कार कर दिया। लेकिन साथ ही साथ यह सुझाव दिया कि जितनी जल्दी हो सके सोवियत संघ अपनी सेनाए हटा लें। श्रीमती गांधी ने अफगानिस्तान के गृह युद्ध में पाकिस्तान एवं अमेरिका के हस्तक्षेप का विरोध किया।

उपसंहार

भारत के सवतंत्रता के पूर्व से ही भरतीय समाज पर सोवियत रूस के सामाजिक और सांस्कषतिक गतिविधियों का प्रभाव था। जो स्वतंत्रता के पश्चात् नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी के शासन काल तक, सभी क्षेत्रों में परिलक्षित होता है। भारत के गुटनिरपेक्ष होने के बाद भी सोवियत ने अन्तराष्ट्री मंच पर सभी प्रकार से साथ दिया है। सन 1971 की 20 वर्षों के लिए हुई, भारत सोवियत संधि ने दोनो देशों के सम्बन्धों को और भी मजबूती प्रदान किया। भारत ने सामरिक क्षेत्र एवं तकनीकि क्षेत्र में बहुआयामी विकास किया। भारत के आन्तरिक मामलों में भी अव्यवस्था होने पर भी समय–समय पर सोवियत का सहयोग प्राप्त होता रहा जैसा कि आपातकाल के दौर में भी देखने को मिलता है। भरतीय आर्थिक नीतियों में भी सोवियत प्रभाव की झलक दिखाई देती है। भारत में सरकारीकरण भी सोवियत वयव्स्था का प्रभाव रहा है जिसके बाद यह साफ होने लगा कि भारत समाजवाद की ओर अग्रसर है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1 . कुमार प्रमोद , *आर्टिकल, समकालीन यूरोप :* एक इतिहास परक राजनैतिक विश्लेषण , सृजन संवाद 21 वी सदी, संपादक बृजेश, अंक 11 दिसम्बर 2011.

2 . कौल टी. एन , पेपर्स (1,2,3, इन्सटॉमेन्ट), रिटेन बाई गांधी इंदिरा , पेज न0 **48–49** . 3 . चोपड़ा वि0 दि0, *भारत – सोवियत सम्बन्ध : एक अध्ययन,* पैट्रियाट पब्लिशर्स, नई दिल्ली ।

4 . विभाकर जगदीश, *दो देशों की दोस्ती*– भारत– सोवियत राजनयिक सम्बन्धों के 25 वर्ष, शब्दकार पब्लिर्श दिल्ली 1974.

5 . भगत ऊसा, इंदिरा थ्रू माई आईज, पेंगुइन 2005 .

6 . स्टीन ऑरथर, *इंडिया एण्ड सोवियत यूनियन द् नेहरू एरा,* यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस, 1969

7 . *लोक सभा की बहस,* वाल्यूम 7, तीन मूर्ति, दिल्ली ।